

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2024/ 1391

दिनांक 30/05/24

अनवान :-

प्रार्थी बनाम विप्रार्थीगण
चुतरा वगैरा बनाम हडुमानराम वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं.34/2024

दिनांक : 30.05.2024

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र पोकरासर के मौजा पोकरासर में खसरा सं. 930/334, 931/334, 932/334, 933/334, 934/334, 873/318, 935/334, 936/334 रकबा क्रमशः 01.1039, 02.1090, 04.4010, 02.8438, 07.2155, 06.6368, 07.2155, 01.4968 हैक्टर एवं मौजा धीरासर के खसरा सं. 635/317, 636/317, 637/317, 638/317, 639/317 रकबा 04.3813, 04.3814, 04.3814, 06.5721, 06.5721 एवं मौजा बानों का नाडिया के खसरा सं. 551/319, 553/319, 554/319, 555/319, 624/552, 625/552, 626/552 रकबा 00.0809, 03.0513, 01.1817, 03.7959, 03.6662, 02.5495, 01.0527 हैक्टर भूमि के चारों तरफ पट्टे नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थायी बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

दिनांक 30/05/24

क्रमांक/भू.अ./2024/ 1392 to 1395

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी चुतरा वगैरा
3. विप्रार्थीगण हनुमानराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धौरीमन्ना/धनाऊ/मेडवा

(सुरजभू.अ.सोडे)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन